



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245079
CG-DL-E-10042023-245079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613]
No. 1613]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
आय-कर
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

का.आ. 1692(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्रम सं. 22 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक (प्रोविजनल)
(1)	(2)	(3)
"23	2023-24	348"।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 21/2023/ फा.सं. 370142/5/2023-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ.2735(अ), तारीख 14 जून, 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

INCOME-TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2023

S.O. 1692(E).— In exercise of the powers conferred by clause (v) of the *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the TABLE, after serial number 22, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

TABLE

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index (provisional)
(1)	(2)	(3)
"23	2023-24	348".

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024 and shall, accordingly, apply in relation to the assessment year 2024-25 and subsequent assessment years.

[Notification No. 21 /2023/F.No.370142/5/2023-TPL]

RAMAN CHOPRA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017 and last amended by the notification number S.O 2735(E), dated the 14th June, 2022.